

परिशिष्ट-08
अभिलेखों से संबंधित चैकलिस्ट

पदनाम – प्रधानाचार्य (श्रेणी-दो)

अनुक्रमांक –.....

क्र० सं०	प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं (हां/नहीं)
1.	ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति।	
2.	विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या-02) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
3.	प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-03) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
4.	देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या-04) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
5.	हाईस्कूल प्रमाण-पत्र	
6.	हाईस्कूल अंकतालिका	
7.	A. आयु हाईस्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार 01 जुलाई, 2023 तक (जन्मतिथि 02.07.1981 से 01.07.2002 के मध्य)वर्ष.....माह..... दिन B. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित तिथि तथा प्रमाण पत्र के अनुसार तिथि में परिवर्तन। हाँ/नहीं C. हाँ की दशा में अभ्यर्थी की जन्मतिथि 02.07.1981 से 01.07. 2002 के मध्य है अथवा नहीं।	
8.	इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र*	
9.	इण्टरमीडिएट अंकतालिका	
10.	अभ्यर्थी के पास यात्रिक, विद्युत, इलैक्ट्रानिक्स दूरसंचार, आटोमोबाईल या उत्पादन अभियान्त्रिकी में उपाधि या ए0एम0आई0ई0 (इण्डिया) या ए0एम0आई0 (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) (लन्दन) ए0एम0आई0ई0ई0 (लन्दन) या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता वर्ष-	
11.	अभ्यर्थी के पास अध्यापन या कर्मशाला का अनुभव। कुल अवधि वर्ष में-	
12.	अधिमानी अर्हता- (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	
13.	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0**/ ई0डब्लू0एस0***)	
14.	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/दिव्यांग/	

	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे)	
15.	स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।	
16.	अभ्यर्थी यदि किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति।	
17.	यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।	
18.	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमणित फोटोग्राफ।	
19.	अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु पहचान पत्र यथा-आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस आदि मूल रूप में तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति।	

* यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण-पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

** एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0 आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 03 नवम्बर, 2023 तक वैध होना चाहिए। शासनादेश संख्या-310 दिनांक 26.10.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 प्रमाण-पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु जारी हो।

*** ई0डब्लू0एस0 प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष 2022-2023 की आय गणना के आधार पर निर्गत तथा वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु मान्य होना चाहिए।

नोट-आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थी उक्तानुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र, विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या-02), प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-03), देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या-04) एवं समस्त अभिलेखों की छायाप्रति के 02 स्वप्रमाणित सेट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी का नाम.....